

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- तकनीकी त्याग-पत्र एवं लियन पर समेकित अनुदेशों के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि तकनीकी त्याग-पत्र तथा ऐसी सेवा शर्तों जिनके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी के पद का लियन को बनाए रखा जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है अथवा स्थानांतरित किया जा सकता है, के संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा विभिन्न अनुदेश जारी किए गए हैं। आज तक की तारीख तक जारी किए ऐसे सभी अनुदेशों को संदर्भ की सुविधा के लिए सहजतापूर्वक बोधगम्य शीर्षकों के अंतर्गत समेकित किया गया है तथा इस का.जा. के अनुबंध के रूप में इन्हें रखा गया है। सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

ह0/-

(जे.ए. वैद्यनाथन)

निदेशक (स्थापना)

दूरभाष सं. 23093179

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
2. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. राज्यसभा सचिवालय/लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. महापंजीयक, भारत के उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
7. महापंजीयक, केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, मुख्य बेंच, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, नई दिल्ली ।
9. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
10. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
11. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय ।
12. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली ।
13. अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली ।
14. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली ।
15. सचिव, राष्ट्रीय परिषद, (जेसीएम), 13, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
16. स्थापना अधिकारी एवं ए.एस ।
17. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी एवं अनुभाग ।
18. सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (20 प्रतियां) ।
19. एनआईसी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) को इस कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट में डालने के लिए ।
20. स्थापना अनुभाग (100 प्रतियां)।